PCS मंत्र

पीसीएस/यूपीएससी परीक्षा-उन्मुख समसामयिकी

ट्रांसजेंडर (संशोधन) अधिनियम 2026: क्या बदला और क्यों चुनौती

समाचार-संदर्भ: 30 मार्च 2026 (राजपत्र में प्रकाशन), 25 मई 2026 (प्रवर्तन-तिथि), 16 अक्टूबर 2026 (सर्वोच्च न्यायालय का आदेश)

प्रकाशन: 31 अक्टूबर 2026

मुख्य परीक्षा: GS-II समाज/अधिकार — ट्रांसजेंडर अधिकार, NALSA (2014), पहचान-प्रमाणपत्र, संवैधानिक चुनौती।

प्रिलिम्स: धारा 4(2) निष्कासन, मेडिकल बोर्ड-सिफारिश, धारा 18 नया अपराध, SLP(C) 12480/2026, प्रवर्तन 25 मई 2026।



मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

खबरों में क्यों

ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2026 (अधिनियम संख्या 3, 2026) 30 मार्च 2026 को राजपत्र में प्रकाशित हुआ। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 2620(अ) (22 मई 2026 को जारी) ने अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (2) के तहत 25 मई 2026 को उसके प्रवर्तन की तिथि नियत की। यह अधिनियम वर्ष 2019 के मूल अधिनियम और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) बनाम भारत संघ (2014) निर्णय की स्व-पहचान व्यवस्था से हटकर "ट्रांसजेंडर व्यक्ति" की परिभाषा संकरी करता है और पहचान-प्रमाणपत्र के लिए मेडिकल बोर्ड का प्रमाणन अनिवार्य करता है। अधिनियम की संवैधानिक वैधता को लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की याचिका से सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है और मामला संविधान पीठ के समक्ष विचार के लिए चिह्नित है। इससे अलग, जेन कौशिक की याचिका में तृतीय-लिंग को भर्ती-रिक्तियों में शामिल न किए जाने का प्रश्न उठा है — न्यायालय ने 16 अक्टूबर 2026 को नोटिस जारी किया और सुनवाई 19 नवंबर 2026 को तय हुई है।

PCSMANTRA.COM

2019 का कानून और NALSA निर्णय क्या कहते हैं

NALSA बनाम भारत संघ (2014): सर्वोच्च न्यायालय ने लैंगिक पहचान के लिए जैविक परीक्षण खारिज कर स्व-धारणा (मनोवैज्ञानिक आधार) को मान्यता दी थी।

2019 का अधिनियम: ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 में धारा 4(2) स्व-कल्पित लैंगिक पहचान के अधिकार को मान्यता देती थी और पहचान-प्रमाणपत्र जिला मजिस्ट्रेट जारी करता था।

2026 संशोधन के प्रमुख बदलाव

परिभाषा (धारा 2(k)): "ट्रांसजेंडर व्यक्ति" की नई परिभाषा राजपत्र में वर्णित सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान (जैसे किन्नर, हिजड़ा, अरवानी, जोगता), यूनुक, इंटरसेक्स विचलन और बल/प्रलोभन/छल से ट्रांसजेंडर-पहचान धारण कराए गए व्यक्तियों तक सीमित है; परंतुक (शर्त-खंड) स्पष्ट करता है कि भिन्न यौनिक अभिविन्यास और स्व-कल्पित लैंगिक पहचान वाले व्यक्ति इसमें सम्मिलित नहीं हैं।

मेडिकल बोर्ड: नई धारा 2(aa) में "प्राधिकरण" का अर्थ मेडिकल बोर्ड (मुख्य चिकित्सा अधिकारी या उपमुख्य चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता) है; धारा 4(2) — स्व-कल्पित लैंगिक पहचान का अधिकार — निष्कासित की गई है।

पहचान-प्रमाणपत्र (धारा 6): अब जिला मजिस्ट्रेट मेडिकल बोर्ड की सिफारिश के परीक्षण के बाद प्रमाणपत्र जारी करेगा; नई धारा 6(4) प्रमाणपत्र-धारक को जन्म-प्रमाणपत्र सहित सभी दस्तावेज़ों में प्रथम-नाम बदलने का हक देती है।

लिंग-परिवर्तन (धारा 7): सर्जरी कराने वाला चिकित्सा-संस्थान जिला मजिस्ट्रेट और बोर्ड को विवरण देगा; जिला मजिस्ट्रेट चिकित्सा-अधीक्षक/CMO के प्रमाणपत्र पर लिंग-परिवर्तन प्रमाणपत्र जारी करेगा।

अपराध और दंड (नई धारा 18): जबरन ट्रांसजेंडर-रूप धारण कराकर भिक्षावृत्ति या बंधुआ श्रम कराने पर 5 से 10 वर्ष कारावास और न्यूनतम एक लाख रुपये जुर्माना; बच्चे के साथ यही अपराध 10 से 14 वर्ष और न्यूनतम तीन लाख रुपये; अपहरण कर शल्य/रासायनिक/हार्मोनल प्रक्रिया से पहचान थोपने पर 10 वर्ष से आजीवन कारावास और न्यूनतम दो लाख रुपये (बच्चे के मामले में आजीवन और न्यूनतम पाँच लाख रुपये)।

सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती और संबंधित मामला

संवैधानिक चुनौती (लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की याचिका): कार्यवाही-क्रम SC Observer की कार्यवाही-समीक्षा के अनुसार।

24 अप्रैल 2026: त्रिपाठी ने अनुच्छेद 32 याचिका दायर कर संशोधन को चुनौती दी — आधार: अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 का उल्लंघन और NALSA (2014) के सिद्धांतों से विचलन।

4 मई 2026: न्यायालय ने नोटिस जारी कर मामला संविधान पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया; अंतरिम रोक नहीं लगाई।

15 जून 2026: केंद्र की अनुच्छेद 139A ट्रांसफर याचिका पर नोटिस; सभी हाईकोर्ट में लंबित संबंधित कार्यवाहियों पर रोक लगी — यह रोक अधिनियम के प्रवर्तन पर नहीं, हाईकोर्ट की कार्यवाहियों पर है।

संबंधित भर्ती-रिक्ति मामला (जेन कौशिक):

PCSMANTRA.COM

16 अक्टूबर 2026: जेन कौशिक बनाम एलजी, दिल्ली (एसएलपी (सी) 12480/2026; उससे जुड़ी Diary संख्या 53380/2026 की कार्यवाही भी साथ सूचीबद्ध) में न्यायालय ने दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) की शिक्षक-रिक्तियों समेत राज्य की भर्ती-रिक्ति अधिसूचनाओं में तृतीय-लिंग को शामिल न किए जाने के प्रश्न पर नोटिस जारी किया और भर्ती-नियमों के स्रोत व दायरे पर प्रश्न तैयार किए; सुनवाई 19 नवंबर 2026 को तय।

परीक्षा दृष्टिकोण

संवैधानिक प्रश्न: स्व-पहचान बनाम मेडिकल-प्रमाणन की वैधता अनुच्छेद 14 (समानता), 15 (भेदभाव-निषेध), 19 (अभिव्यक्ति) और 21 (प्राण और दैहिक स्वतंत्रता — पहचान और गरिमा) की कसौटी पर परखी जाएगी।

सामाजिक-न्याय दृष्टि: परिभाषा-दायरे से बाहर हुए समूहों की सुरक्षा-गारंटी, मेडिकल बोर्ड तक पहुँच की व्यावहारिकता और बुनियादी सुविधाओं का प्रश्न।

न्यायिक-निगरानी: संविधान पीठ के समक्ष विचार्य मामला NALSA के बाद लैंगिक पहचान और अधिकारों की व्याख्या के लिए महत्त्वपूर्ण हो सकता है।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न. "ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2026 स्व-पहचान के सिद्धांत से मेडिकल-प्रमाणन की ओर प्रतिगमन है।" NALSA (2014) के सिद्धांतों और अनुच्छेद 21 के परिप्रेक्ष्य में इस कथन का समीक्षात्मक मूल्यांकन कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में लिखिए। 15 अंक)

भूमिका में

संशोधन अधिनियम, 2026 (30 मार्च 2026 राजपत्र; अधिसूचना का.आ. 2620(अ) द्वारा 25 मई 2026 से प्रवृत्त) और उस पर सर्वोच्च न्यायालय में लंबित चुनौती का संक्षिप्त परिचय दें।

मुख्य भाग में

NALSA (2014) का स्व-धारणा सिद्धांत और जैविक परीक्षण को खारिज करने का निर्णय बताएँ। संशोधन के प्रमुख बदलाव रखें — संकरी परिभाषा (धारा 2(k)), धारा 4(2) का निष्कासन, मेडिकल बोर्ड-आधारित प्रमाणन (धारा 6), नई धारा 18 के अपराध-दंड। अनुच्छेद 14/15/19/21 के संदर्भ में दोनों पक्षों के तर्क दें: राज्य की विनियमन-क्षमता और दुरुपयोग-रोकथाम की रक्षा बनाम पहचान, गरिमा और दैहिक स्वायत्तता के अधिकार का संकुचन। त्रिपाठी की याचिका में चुनौती का क्रम (संविधान पीठ के समक्ष विचारण; 15 जून को हाईकोर्ट कार्यवाहियों पर रोक) और इससे अलग जेन कौशिक मामले में भर्ती-रिक्तियों पर 16 अक्टूबर के आदेश को पृथक रूप से उल्लेखित करें।

निष्कर्ष में

अधिकार-संरक्षण और विनियमन के बीच संतुलन पर संविधान पीठ के निर्णय की निर्णायक भूमिका; गरिमापूर्ण समावेशन की दिशा में नीति-सुझाव के साथ समापन करें।

PCSMANTRA.COM

प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1. ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन-I: इसके द्वारा वर्ष 2019 के मूल अधिनियम की धारा 4(2), जो स्व-कल्पित लैंगिक पहचान के अधिकार से संबंधित थी, निष्कासित की गई है।

कथन-II: इसके अंतर्गत पहचान-प्रमाणपत्र जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मेडिकल बोर्ड की सिफारिश के परीक्षण के बाद जारी किया जाएगा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल I

(b) केवल II

(c) I और II दोनों

(d) न तो I, न ही II

उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (c) I और II दोनों। संशोधन अधिनियम, 2026 से 2019 के अधिनियम की धारा 4(2) निष्कासित हुई है (कथन-I सही), और संशोधित धारा 6 के तहत पहचान-प्रमाणपत्र जिला मजिस्ट्रेट मेडिकल बोर्ड की सिफारिश के परीक्षण के बाद जारी करेगा (कथन-II सही)।

प्रश्न 2. ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से संबंधित विधिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. NALSA बनाम भारत संघ (2014) में सर्वोच्च न्यायालय ने लैंगिक पहचान हेतु जैविक परीक्षण को खारिज किया था।
2. ट्रांसजेंडर व्यक्ति (संशोधन) अधिनियम, 2026 की नई धारा 18 में जबरन ट्रांसजेंडर-रूप धारण कराकर भिक्षावृत्ति कराने को अपराध बनाया गया है।
3. संशोधन अधिनियम, 2026 के अनुसार "ट्रांसजेंडर व्यक्ति" की परिभाषा में स्व-कल्पित लैंगिक पहचान वाले सभी व्यक्ति सम्मिलित हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

PCSMANTRA.COM

उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (a) केवल 1 और 2। NALSA (2014) में न्यायालय ने जैविक परीक्षण खारिज कर स्व-धारणा को मान्यता दी थी (कथन 1 सही)। नई धारा 18 जबरन ट्रांसजेंडर-रूप धारण कराकर भिक्षावृत्ति/बंधुआ श्रम को दंडनीय बनाती है (कथन 2 सही)। 2026 की परिभाषा का परंतुक (शर्त-खंड) स्पष्ट करता है कि स्व-कल्पित लैंगिक पहचान वाले व्यक्ति सम्मिलित नहीं हैं, इसलिए कथन 3 गलत है।

स्रोत

- भारत का राजपत्र: ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2026 (30 मार्च 2026)
- भारत का राजपत्र: प्रवर्तन-अधिसूचना का.आ. 2620(अ), 22 मई 2026 (प्रवर्तन-तिथि 25 मई 2026 नियत)
- सर्वोच्च न्यायालय: जेन कौशिक बनाम एलजी, दिल्ली — आदेश (16 अक्टूबर 2026)
- SC Observer: चुनौती-ट्रैकर

PCSMANTRA.COM